

प्रेस नोट

21.11.2020

एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.11.2020 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान लुदुही जाने वाली सड़क से हिस्ट्रीशीटर अपराधी (52ए) महेश हरिजन पुत्र श्यामविहारी हरिजन निवासी लुदुही थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 824/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. महेश हरिजन पुत्र श्यामविहारी हरिजन निवासी लुदुही थाना सरायलखंसी मऊ (हिस्ट्रीशीट नम्बर 52ए)।

बरामदगी—

1. एक अदद नाजायज तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 21.11.2020 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कस्बा कोपागंज से मु0अ0सं0 583/20 धारा 504,507 भादवि0 व 3(1) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त सन्नी उर्फ सुनील यादव पुत्र श्रवण यादव निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 14 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 21.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा कृष्णा गुप्ता, सूरज, सुनील, प्रवीण, सोनू, संजय निवासीगण नई बाजार थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा सूरज निवासी मुबारकपुर थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा विवेक तिवारी, तरणी राय निवासीगण फैजुल्लाहपुर थाना कोपागंज, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा अर्जुन निवासी मटेहु थाना मरदह जनपद गाजीपुर, अजय, अंकित, रामभवन निवासीगण रणबीरपुर थाना सरायलखंसी, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गोलू निवासी ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।